न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी सांवर मल वर्मा आई0ए0एस0)

अपील संख्या :– 10/20 (धारा 73(2) न0पा0 एक्ट) (RCMS No.2020/00010)

1. कल्याण प्रसाद पुत्र श्री गिरवरलाल जाति ब्राहमण निवासी दत्तात्रेय पाडा हिण्डौन तहसील हिण्डौन जिला करौली।

1/1 रवि कुमार
1/2 प्रदीप कुमार
} पुत्रान स्व0 कल्याण प्रसाद जाति ब्राहमण निवासी दातरापाडा हिण्डौन तह0 हिण्डौन जिला करौली।

.....अपीलान्ट

बनाम

आयुक्त नगर परिषद करौली।

..... रैस्पोडेन्ट

अपील अंतर्गत धारा 73(2) न0पा0 एक्ट विरूद्ध आदेश जिला कलक्टर करौली दिनांक 06.11.2019 व मुकदमा कल्याण प्रसाद बनाम आयुक्त नगर परिषद करौली नं0 20/15

उपस्थितिः–

1. श्री पंकज कुमार वकील अपीलान्ट।

निर्णय

दिनांकः– 20.06.2023

उक्त अपील अन्तर्गत धारा 73(2) न0पा0 एक्ट जिला कलक्टर करौली के निर्णय दिनांक 06.11.2019 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलान्ट का एक चूने का भट्टा आराजी खसरा नम्बर 4347 रकबा 5 बीघा 10 विस्वा वाकै करौली में आधा बीघा पर सन 1963 से बना हुआ है। उक्त भूमि का व्यवसायिक उपयोग हेतु आदेश जिला कलक्टर सवाई माधोपुर द्वारा दिनांक 7.10.1963 को जारी हुआ था। दिनांक 1.11.1980 को नगर पालिका करौली द्वारा उक्त भूमि पर चूना भट्टा तामीर करने की एन ओ सी जारी की गई थी। इस प्रकार उक्त आधा बीघा भूमि पर अपीलान्ट का सन 1963 से चूना पकाने का पाटोर एवं टीनशेड पोश गोदाम यहां बना हुआ था तथा उक्त भूमि पर अपीलान्ट का लगातार कब्जा चला आ रहा था। उक्त भूमि ख0नं0 4347 रकबा 5 बीघा 19 विस्वा अन्य आराजीयात के साथ आबादी भूमि दर्ज होकर नगर परिषद करौली के नाम दर्ज हो चुकी है। जबकि उक्त भूमि का अपीलान्ट चूना भट्टा बरामदा गोदाम इत्यादि के रूप में उपयोग उपभोग कर रहा है। वर्तमान में बाजार में चूने की मांग कम होने के कारण उक्त चूना भट्टा का कोमर्शियल उपयोग करना लाभदायक नहीं होने के कारण अपीलान्ट उक्त भूमि का कोमर्शियल के स्थान पर आवासीय प्रयोजन में उपयोग करना चाहता है। इस सम्बन्ध में अपीलान्ट ने उक्त आधा बीघा भूमि का आवासीय प्रयोजन हेतु पट्टा लेने के लिये नगर पालिका करौली जो वर्तमान में नगर परिषद करौली में एक आवेदन पत्र मय दस्तावेज दिनांक 07.05.

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

2012 को प्रस्तुत किया था। परन्तु आयुक्त नगर परिषद करौली द्वारा आदेश दिनांक...निल...से यह कहते हुये कि उक्त भूमि नगर परिषद की सिवायचक भूमि है जिसका पट्टा एल0ए0 की राय के मुताबिक जारी नहीं किया जा सकता है। खारिज कर दिया। इसकी अपील अपीलान्ट के द्वारा जिला कलक्टर करौली के समक्ष पेश की गई। जिला कलक्टर करौली द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनाक 06.11.2019 के द्वारा अपीलान्ट की अपील खारिज कर दी गयी। जिला कलक्टर करौली के इस आदेश दिनांक 6.11.2019 के खिलाफ यह अपील पेश की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत पत्रावली तलब की गई। दौराने बहस वकील अपीलान्ट उपस्थित वकील रैस्पो0 की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं। वकील अपीलान्ट की एकतरफा बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने मीमो आफ अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि अपीलाधीन आदेश विधिविरूद्ध व तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। क्योंकि अदालत मातहत ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि आराजी खसरा नम्बर 4347 रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा में से आधा बीघा भूमि पर अपीलान्ट का वैद्यानिक कब्जा 1963 से है। जिला कलक्टर सवाई माधोपुर द्वारा आदेश दिनांक 07.10.63 के द्वारा व्यावसायिक प्रयोजनार्थ उक्त भूमि का उपयोग किये जाने हेतु आदेश जारी किया था जो कि आज दिनांक तक बदस्तूर है। विवादित भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा तभी से चला आ रहा है। इसी आधार पर अपीलान्ट के द्वारा पट्टा जारी किये जाने हेतु नगरपालिका में आवेदन किया गया था। परन्तु नगरपालिका की ओर से गलत तरीके से आवेदन खारिज कर दिया गया। जिला कलक्टर करौली द्वारा भी पूरे रिकार्ड का अवलोकन किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो कि निरस्तनीय है। अदालत मातहत का अपने आदेश में यह उल्लेख करना कि अपीलान्ट का मौके पर कब्जा नही है, तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है। अपीलान्ट का आज दिनांक तक मौके पर कब्जा है। कब्जा नहीं होने के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई रिपोर्ट अदालत मातहत की पत्रावली में संलग्न नहीं है। केवल मात्र कयास के आधार पर अपील खारिज की गई है जो कि निरस्तनीय है। वकील अपीलान्ट ने यह भी तर्क दिया कि राज्य सरकार की ओर से समय–समय पर विभिन्न परिपत्रों के माध्यम से पुराने वैद्यानिक कब्जाधारियों के पास में नियमन करने के आदेश जारी किये गये है जो कि आज दिनांक तक प्रभावी है। अधीनस्थ न्यायालय में इन परिपत्रों की भी अनदेखी कर अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज करने में कानूनी भूल की है। इसलिए जिला कलक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.11.2019 निरस्तनीय हैं। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे तथा अपीलान्ट के पक्ष में पट्टा जारी किये जाने के आदेश नगरपरिषद करौली को जारी किये जावे।

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई व मनन किया गया तथा अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त प्रकरण में अपीलान्ट की ओर से नगरपालिका करौली में दिनांक 07.05.2012 को इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था कि आराजी खसरा नंबर 4347 रकबा 5 बीघा 19 बिस्वा वाके कस्बा करौली केशवपुरा की आधा बीघा भूमि का पट्टा स्वायत्त शासन विभाग के परिपत्र के अनुसार पुराने कब्जे के आधार पर नियमन करते हुए पट्टा जारी किया गया था। उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर नगरपालिका की ओर से उज्रदायी नोटिस जारी किया गया था। तथा कनिष्ठ अभियंता से मौका रिपोर्ट ली गई जिसमें यह उल्लेख किया गया कि उक्त भूमि को श्री कल्याण प्रसाद पुत्र गिरवरलाल करौली हाल निवासी हिण्डौन सिटी को 1971 में चूना भट्टा के लिये 15 रूपये प्रीमियम प्रतिवर्ष की राशि पर आधे बीघा भूमि स्वीकृत की गयी थी। उक्त भूमि सिवायचक भूमि है। जिला कलक्टर के आदेश दिनांक 25.10.2012 को निकाय क्षेत्रों एवं पेरीफेरी क्षेत्र में स्थित सिवायचक भूमि को निकाय के नाम स्थान्तरित करने के आदेश दिये जाने के कारण 248.19 बीघा भूमि नगरपरिषद को स्थान्तरित की गई है। इसमें खसरा नम्बर 4347 रकबा 5 बीघा 19 बिस्वा भूमि भी हस्तान्तरित की गई है। प्रकरण में विधि सलाहकार से राय ली गयी जिसमें यह उल्लेख किया गया कि आवेदित भूमि नगरपरिषद की सिवायचक भूमि है। जिसमें कानूनन पट्टा दिया जाना संभव नही है। विधि सलाहकार से प्राप्त राय के आधार पर अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत आवेदन नगरपरिषद करौली की ओर से निरस्त किया गया है। नगरपरिषद करौली की ओर से पारित आदेश के विरूद्ध जिला कलक्टर करौली के न्यायालय मे अपील प्रस्तुत किये जाने पर आदेश दिनांक 06.11.2019 के द्वारा उक्त अपील खारिज की गई है। विद्वान जिला कलक्टर करौली ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 6.11.2019 में यह उल्लेख किया है कि नगरपरिषद क्षेत्र की समस्त जमीनें नगरपरिषद को राजस्व विभाग ने वर्ष 2012 में ही स्थानान्तरण कर उसका उपयोग व उपभोग करने हेतु उनके स्वामित्व में दे दी है। स्वायत्त शासन विभाग की ओर से जारी परिपत्र दिनांक 01.01.2002 जो कि वकील अपीलान्ट की ओर से बहस में प्रस्तुत किया गया था, के सम्बन्ध में उल्लेख किया गया है कि उक्त परिपत्र. के अनुसार भूमि पर सन् 1971 से पूर्व के कब्जों के आधार पर शासन शहरों के संग अभियान के दौरान नियमित करने के प्रावधान थे जो बिना 31.03.2000 तक ही मान्य थे। उसके पश्चात एक अन्य आदेश दिनांक 05.08.2004 को जारी किया गया था जिसे भी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा खारिज किया गया है। इस आधार पर अपीलान्ट/प्रार्थी के स्वायत्त शासन विभाग जयपुर की ओर से जारी परिपत्रों के तहत पात्रता नहीं रखने, आवेदक के आवेदन पत्र में मूल निवास हिण्डौन होने एवं करौली में विवादित आराजी पर पूर्व में भट्टा स्थापित होना बताया जाने का उल्लेख करते हुए यह मानते हुए कि विवादित भूमि पर अपीलान्ट का निरस्तर कब्जे बाबत् कोई भी साक्ष्य पत्रावली में नहीं है। विवादित

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

भूमि नगरपरिषद करौली के खातेदारी में होने के आधार पर प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है जिसमें किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं माना है जो कि उचित प्रतीत होता है क्योकि अपीलान्ट की ओर से अदालत हाजा में भी जो अपील पेश की गई है उसमें यह उल्लेख किया गया है कि विवादित भूमि पर वर्ष 1963 से लगातार अपीलान्ट का कब्जा चला आ रहा है परन्तु इस सम्बन्ध में किसी तरह का कोई दस्तावेज, साक्ष्य या सबूत अदालत हाजा में प्रस्तुत नहीं किया है। जहां तक स्वायत्त शासन विभाग की ओर से जारी परिपत्रों के तहत सिवायचक भूमि पर किये गये अतिक्रमण को नियमित किये जाने का प्रश्न है तो इस सम्बन्ध में विभाग की ओर से केवल आवासीय प्रयोजनार्थ किये गये अतिक्रमण को नियमित किये जाने के निर्देश है जबकि उपरोक्त प्रकरण में अपीलान्ट की ओर से वर्ष 1963 में जिला कलक्टर सवाई माधोपुर की ओर से चूना भट्टा के प्रयोजन हेतु आवंटित की गयी भूमि में से आधे बीघा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ पट्टा चाहा गया है। इस संबंध में इस तरह का कोई परिपत्र न तो अदालत मातहत में और न ही अदालत हाजा में अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत किया गया है जिससे यह स्पष्ट होता हो कि चूना भट्टा हेतु आवंटित भूमि में से आवासीय प्रयोजनार्थ पट्टा दिया जा सकता हो। इसके अलावा भी राज्य सरकार की ओर से समय–समय पर प्रशासन शहरों के संग अभियान चलाये जाते हैं जिसमें नगरीय क्षेत्र में स्थित सिवायचक भूमि पर आवासीय प्रयोजनार्थ किये गये अतिक्रमणों को नियमित किये जाने के सम्बन्ध में विभिन्न परिपत्र जारी किये जाते हैं। इन परिपत्रों के तहत यदि अपीलान्ट की पट्टा जारी कराने की पात्रता बनती है तो इसके लिए वे नगरपरिषद करौली के कार्यालय में आवेदन करने हेतु स्वतंत्र है परन्तु जिला कलक्टर करौली की ओर से पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 06.11.2019 में किसी तरह की कोई अवैधानिकता या अनियमितता नहीं होने के कारण हस्तक्षेप किये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 06.11.2019 यथावत रखा जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 20.06.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

20.6.2023

(सांवर मल वर्मा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर